Office of the Principal
Government Industrial Training Institute
Joginder Nagar, District Mandi (Himachal Pradesh)
(An ISO 29990: 2010 certified Institute)
(E-mail: itijogindernagar@rediffmail.com, contact no. 80910 02380)

No. ITI-JNR/B(15)Misc (Canteen)/-1781-1784 Dated: 15.07.2023

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर स्थित डोहग की कैंटीन को चलाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो कोई इच्छुक हो वह दिनांक 30.07.2023 शाम 4 बजे तक मोहर बन्द निविदा/कुटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवा सकता है। निविदा/कुटेशन दिनांक 31.07.2023 को सुबह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी।

कैंटीन के लिए नियम व शर्ते:

1. प्रतिदिन कैंटीन का सामान दर–निविदा के साथ संलग्न मेनू के अनुसार रखना होगा।
2. अगर रेट उचित प्रतीत नहीं होते है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा नेगोसिएसन कमेटी गठित की जायेगी।
3. इस दर–संविदा की अवधि एक साल तक होगी जिसे बाद में आपके कार्य आदि को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा गठित कैंटीन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आगे एक वर्ष के लिए और अधिकतम दो वर्ष तक बढाया जा सकता है। अन्यथा निविदा दुबारा होगी।
4. यदि आपका अथवा आपके कर्मचारियों को व्यवहार संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अध्ययनरत छात्रों के प्रति असंतोषजनक पाया जाता है तो आपके उक्त अनुबन्ध कैंटीन कमेटी की सिफारिश पर समाप्त भी किया जा सकता है।
5. संस्थान परिसर तथा कैंटीन में धुम्रपान/मदिरापान, अन्य अवैध गतिविधियां तथा रेगिन्ग गतिविधियां पूर्णतया वर्जित होंगी यदि कोई छात्र ऐसा करता पाया जाता है तो आप तुरन्त प्रभारी कैंटीन तथा अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त सूचित करेंगें।
6. कैंटीन मैन्यु जोकि संस्थान की कैंटीन कमेटी द्वार स्वीकृत किया जायेगा, उसे कैंटीन के नोटिस बोर्ड में लगाना होगा तथा उसी के अनुसार छात्रों को सामान एव खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने होंगें।
7. Successful bidder को जमानत राशि के रुप में मुल्लीग 2000/– रुपये जमा करवाने होंगें।
8. आपको कैन्टीन रेन्ट 2000/–रुपये प्रतिमाह की सात तारीख से पहले इस संस्थान के कैशियर के पास जमा करवाने होंगें। कमेटी की सिफारिश पर किराया बढाया भी जा सकता है।
9. कैन्टीन खोलने का समय प्रातः 9:00 बजे से लेकर रात 6:00 बजे तक होगा व आवश्यकतानुसार देरी तक भी खोलनी पडेगी तथा संस्थान में कोई आवश्यक गतिविधियों के दौरान अवकाश वाले दिन भी कैन्टीन खोलनी पडेगी। इसके अतिरिक्त आप कैंटिन में छात्रों व कर्मचारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को

नही बैठाएंगे तथा अपनी मर्जी से कैंटीन किसी कार्यदिवस में बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति से बन्द नही रहेगी।

10. अगर आप कैंटीन के अनुबन्ध को दिए गए करारनामे से पहले छोडना चाहें तो आपको दो माह पूर्व अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा अन्यथा आपके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी।
11. अद्योहस्ताक्षरी को आपके अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार रहेगा।
12. कैंटीन कमेटी कभी भी कैंटीन में बने हुए सामान की गुणवता की जांच कर सकती है। अगर खाने के सामान की गुणवता कमेटी द्वारा सही नही पाई गई तो कैंटीन के अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से रदद् किया जाएगा।
13. कैंटीन मेनू के अलावा अन्य खाने के सामान को कैंटीन कमेटी द्वारा पारित करवाना होगा।
14. कैंटीन में सिगरेट तम्बाकू बेचना वर्जित होगा।
15. कैंटीन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
16. संस्थान के कर्मचारियों को कार्य दिवस में दो बार प्रातः 11:30 बजे व 3:00 बजे संस्थान मे आकर उनकी सहमति के अनुसार चाय देनी होगी।
17. इसके अतिरिक्त यदि कोई भी नियम कैंटीन कमेटी या संस्थान द्वारा बनाया जाता है या तबदील किया जाता है, उसे आपको मानना होगा।
18. कैंटीन और संस्थान में नियमों का कडाई से पालन करना होगा। आप किसी भी समस्या को लेकर बच्चों से नही उलझेगें। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कैंटीन प्रभारी से बात करें।
19. यह कि आपके जो कमचारी कैंटीन में कार्य करेंगे,उनका पंजीकरण करवाकर प्रतिलिपि इस कार्यालय में जमा करवाना होगा और वही कर्मचारी कैंटीन में कार्य करेंगे। किसी कर्मचारी को कार्यस्थल में किसी प्रकार से गडबडी करने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
20. कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना की जिम्मेवारी आपकी होगी। कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी की आयु अठारह वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
21. आप बिजली व पानी के बिल की अदायगी स्वयं करेंगें। बिल समय पर अदा न करने पर अथवा मीटर कटने की जिम्मेवारी आपकी होगी।
22. कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन आप देंगे। संस्थान की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी।
23. ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति को आगे कैंटीन का ठेका नहीं दे सकता और न ही Partnership/to let/sub let कर सकते है। ऐसा करने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से रदद् कर दिया जायेगा।
24. ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को कैंटीन कमेटी द्वारा बनाये गए नियम का पालन करना होगा।
25. कैंटीन में सरकारी सम्पति की देख रेख की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
26. कैंटीन के लिए ठेकेदार अपने स्तर पर वर्तन, गैस तथा अन्य वस्तुए आवश्यकता अनुसार का arrangement स्वयं करेंगे।
27. ठेकेदार को कैंटीन में काम करने का का अनुभव होना चाहिए।
28. ठेकेदार को फूड एवं सेफटी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
29. Bidder कुटेशन भरने से पहले तथा कैंटीन का निरिक्षण कर सकते हैं।
30. प्रधानाचार्य को बिना कारण बताए, कुटेशन को accept or reject करने का अधिकार होगा।

31. सभी प्रकार के विवाद के लिए न्यायालय Jogindernagar रहेगा।
32. अगर आपके पक्ष में निविदा मिलती है तो आपका निविदा की शर्ते मंजूर होने पर Affidavit देना होगा।

निविदा के साथ आपको निम्नलिखित documents लगाने होंगें।

1- Photo copy of Aadhar Card and Pan card.
2- Photo copy of Experience certificate
3- Photo copy of Registration with labour department (if any)
4- Duly signed copy of canteen menu.

Principal
Govt. Industrial Training Institute,
Jogindernagar District Mandi (H.P.)
Dated: 15.07.2023

Principal
Govt. Industrial Training Institute
Joginder Nagar Distt. Mandi (H.P.)

Endst No. As above 1781-1784

1. Copy to Sh. Love Kumar, Instructor COPA to upload this notice in the Institution's website.
2. Copy to Notice Board of the Institute for wide publicity.
3. Copy to Notice Board of the SDM Jogindernagar for wide publicity.
4. Copy to Notice Board of the Bus Stand Jogindernagar for wide publicity.
5. Copy for circulation among all the staff of this institute for information and wide publicity.

Principal
Govt. Industrial Training Institute,
Jogindernagar District Mandi (H.P.)

Principal
Govt. Industrial Training Institute
Joginder Nagar Distt. Mandi (H.P.)

Menu

Sr. No.	Name of Items	Qty	Rate
1	Tea	Per Cup	
2	Lunch (Rice, Dal, Curry, Roti)	Half Plate	
3	Lunch (Rice, Dal, Curry, Mixveg, Roti)	Full Plate	
4	Samosa	Per Pc	
5	Bread Pakora (Full Pc)	Per Pc	
6	Prantha (stuffed), Potato/ Onion/MixVeg Paneer Prantha	Per Pc	
7	Coffee	Per Cup	
8	Milk	Per Cup 150gm	
9	Chowmin	Full Plate	
10	Chowmin	Half Plate	
11	Momos (8Pcs)	Full Plate	
12	Momos (4Pcs)	Half Plate	
13	Fried Momos	Full Plate	
14	Fried Momos	Half Plate	
15	Spring Roll	One Pc	
16	Pattie (stuffed Aloo)	One Pc	
17	Cold Drink, Biscuit, Lays, Kurkure, Namkeen	Per Pc	
18	Veg. Plate (Dal, Vegitable, Rice(Parmal), chapatti, Salad, Raita	Full Plate (Semi Deluxe Thali)	
19	Veg. Plate (Dal, Mix Vegitable, Basmati Rice, Chapati, Salad, Raita, Mutter Paneer, Sweet Dish	Full Plate (Deluxe Thali)	
20	Stuffed Kachori	Per Pc	
21	Siddu Dal Akhrot	Per Pc	
22	Maggi (Per Pkt)	Per Plate	
23	Mix Pakora	Per Kg	
24	Paneer Pakora	Per Kg	
25	Mandiyali Dham	Per Person	
26	Bread Piece (Simple)	Per Pc	
27	Burger	Per Pc	
28	Veg. Sandwitch	Per Pc	